

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :-2022 / 132

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा फैसलश हो चुका है। यह पत्रावली भी मूलदावा का अभिन्न अंग है। अतः इसमें आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। यह पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। दिनांक 21.9.22 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

